REGIONAL OFFICE,
M.P. POLLUTION CONTROL BOARD
17, BHARATPURI, UJJAIN
E-mail-romppcb_ujjain@yahoo.co.in, Phone -0734-2510984

S. No. 1677 /PCB/RO/2024. Ujjain, Date 16/10/2024

To,

Smt. Parul Bhadoriya,
Advocate, Hon'ble N.G.T. (CZ)
Bhopal (M.P.)

Sub: Hon'ble NGT Origingal Application No. 11/2022 (CZ) " Bakir Ali Rangwala vs State of Madhya Pradesh"

---000---

Please find enclosed reply in the Matter of Original Application No. 11/2022 (CZ) " Bakir Ali Rangwala vs State of Madhya Pradesh" against Hon'ble NGT order dated 04 September 2024. The next hearing of case is scheduled on date 18 October 2024.

Encle:- As above

(H. K. Tiwari)
Regional Officer

Reply for Hon'ble NGT Original Application No. 11/2022 (CZ) "Bakir Ali Rangwala vs State of Madhya Pradesh"

In compliance to Hon'ble NGT (CZ) Bhopal order dated 04 September 2024 in Original Application No. 11/2022 (CZ) "Bakir Ali Rangwala vs State of Madhya Pradesh Compliance report submitted by SDM Ujjain city is annexed as **Annexure – 1** & Compliance report submitted by Ujjain Municipal Corporation is annexed as **Annexure - 2**

Regional Office M.P. Pollution Control Board Ujjain has issued the reminder letter vide letter no. 1370 dated 30-08-2024 to Ujjain Municipal Corporation to deposit environmental compensation of Rs. 300 Lakh (Three Crore only) imposed as per direction passed by the Hon'ble NGT vide order dated 05-12-2023 in Original Application No. 11/2022 (CZ) "Bakir Ali Rangwala vs State of Madhya Pradesh is annexed as **Annexure – 3.**

(Anukool Jain)
ADM, Ujjain

Annexure-1

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, अनुविभाग उज्जैन नगर, जिला उज्जैन म.प्र.

क्रमांक/रीडर-1/2024/2794 उज्जैन दिनांक 16/10/2024

प्रति,

श्रीमान अपर कलेक्टर महोदय
जिला उज्जैन, म.प्र.

विषयः- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच द्वारा प्रकरण कमांक 11/2022 (बाकिर अली रंगवाला विरूद्व म.प्र.शासन व अन्य) में कस्बा उज्जैन स्थित भूमि सर्वे कमांक 1281 के संबंध में वस्तुस्थिति का प्रतिवेदन बावत।

संदर्भः- श्रीमान का पत्र कमांक 752/एडीएम/रीडर/2024 दिनांक 09.10.2024 ।

-----00-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित निर्देश के पालन में कस्वा उज्जैन स्थित भूमि मूल सर्वे कमांक 1281 के संबंध में वस्तुस्थिति का प्रतिवेदन चाहा गया हैं । उक्त भूमि के संबंध में तहसीलदार तहसील उज्जैन नगर से जॉच प्रतिवेदन लिया गया। तहसीलदार उज्जैन नगर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर जॉच प्रतिवेदन निम्नानुसार हैं:-

1. बन्दोबस्त वर्ष 1927 प्रश्नाधिन सर्वे कमांक 1281 रकबा 36 बीघा 18 बिस्वा दर्ज अभिलेख हैं जिसका रकबा हेक्टेयर में 7.712 हेक्टेयर होता हैं। जिल्द बन्दोबस्त खसरा अभिलेख वर्ष 1927 में उक्त भूमि कॉलम नंबर 6 नाम मालिक में मी.सरकार दर्ज अभिलेख हैं, कॉलम नंबर 8 में नाम क़ाश्तकार व वल्दीयत में छोटेलाल वल्द भाउलाल कोम कायस्थ सा.दे.द.कार. दर्ज अभिलेख हैं। कॉलम नंबर 9 नाम सिकमी काश्तकार में रघुनाथ वल्द रामचन्द्र व रामचन्द्र वल्द नाना अपठनीय अंकपात अहीर सा.दे.वही पट्टेदार साल 1 दर्ज अभिलेख हैं तथा मिसल के कॉलम नंबर 29 एवं 30 में सम्पूर्ण रकवा 36 बीघा 18 बिस्वा तालाब दर्ज अभिलेख हैं।
2. खसरा अभिलेख वर्ष 1950-51 में उक्त सर्वे नंबर 4 बटांकन में विभाजित होकर 1281/2 रकबा 1 बीघा 3 विस्वा दर्ज होकर केफियत के कॉलम में म्यू.में गया सड़क दर्ज अभिलेख हैं। सर्वे कमांक 1281/3 रकबा 6 बिस्वा नाम मालिक में रामरतन, काश्तकार में मुन्नालाल वल्द कन्हैयालाल जाति ब्राम्हण , उपकृषक के कॉलम में टंकी वाटर वर्क्स कार्यालय उज्जैन दर्ज अभिलेख हैं। सर्वे कमांक 1281/4 रकबा 2 बिस्वा नाम मालिक के कॉलम में-पटटी रामरतन, काश्तकार के कॉलम में मुन्नालाल वल्द कन्हैयालाल जाति ब्राम्हण , उपकृषक के कॉलम में श्रीहनुमान मंदिर वाके तथा विवरण के कॉलम में आबादी 2 बिस्वा दर्ज अभिलेख हैं। सर्वे कमांक 1281/1 गोरधन सागर रकवा 35 बीघा 7 बिस्वा नाम मालिक के कॉलम में पटटी रामरतन, नाम काश्तकार के कॉलम में मुन्नालाल वल्द कन्हैयालाल जाति ब्राम्हण कैफियत के कॉलम में तालाब 30 बीघा 4 बिस्वा , कदीम,बाग,आबादी दर्ज अभिलेख हैं। इस प्रकार चारों बटांक सर्वे कमांक का कुल रकबा यथावत होकर 36 बीघा 18 बिस्वा होता हैं।

3. खसरा अभिलेख वर्ष 1963–64 में सर्वे कमांक 1281/2 रकबा 0.241 सड़क इम्प्रुवमेंट विभाग, 1281/3 रकबा 0.063 नाम मालिक के कॉलम में मन्नुलाल ब.नं.1281/1 अधि.वाटरवर्क्स विभाग उज्जैन रकबा 1 बिस्वा, विवरण के कॉलम नंबर 10 में 6 बिस्वा आबादी दर्ज हैं। सर्वे कमांक 1281/4 रकबा 0.021 नाममालिक कॉलम में मन्नुलाल ब.नं.1281/1 अधि.श्री हनुमान मंदिर, कॉलम नंबर 10 में 2 बिस्वा आबादी दर्ज हैं। सर्वे कमांक 1281/1 रकबा गोरधन सागर रकबा 7.389 नाम मालिक कॉलम में मन्नुलाल पिता कन्हैयालाल जाति ब्राम्हण स्थानिय निवासी भूमिस्वामी तथा कॉलम नंबर 10 में आबादी 10 बिस्वा एवं तालाब 27 बीघा 10 बिस्वा दर्ज हैं।
4. वर्ष 1965–66 में तालाब के दर्ज रकबे में भिन्नता होकर वर्ष 1965–66 में तालाब 24 बिघा 10 बिस्वा, 1966–67 में 21 बिघा 14 बिस्वा, एवं वर्ष 1967–68 में 27 बिघा 4 बिस्वा की प्रविष्टि होना पायी गई हैं।
5. आगामी वर्षो में उक्त प्रश्नाधिन भूमि सर्वे कमांक 1281/1 रकबा 7.389 हेक्टेयर भूमि मेसे विकित होकर पृथक–पृथक भूमिस्वामी के नाम से दर्ज होती रही तथा सर्वे कमांक 1281/2 सड़क नजूल, 1281/3 रकबा 0.063 नजूल शहरी सीलिंग तथा 1281/4 मेसे रकबा 0.010 हेक्टेयर शासकीय सीलिंग नजूल तथा रकबा 0.011 हेक्टेयर भूमि मन्नुलाल के नाम से दर्ज रही।

   उपरोक्त सर्वे नंबर 1281 के संदर्भ में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल में प्रचलित प्रकरण कमांक 11/2022 में चाही गई जानकरी पर पूर्व में एक विस्तृत रिपोर्ट प्रेषित की गई जिसमें उक्त सर्वे कमांक की 1911 से लेकर वर्तमान की संक्षिप्त जानकारी तथा नजरी नक्शा सहित प्रतिवेदित किया गया था। उक्त प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नाधीन सर्वे कमांक 1281 कुल रकबा 7.716 हेक्टेयर मेसे 4.560 हेक्टेयर पानी के नीचे, रकबा 0.303 हेक्टेयर शासकीय भूमि सड़क एवं वाटर वर्क्स पानी की टंकी तथा 1.693 हेक्टेयर रकबा तालाब का तटीय भाग टापू एवं झाड़ी से आच्छादित भाग रिक्त होकर प्रतिवेदित किया था तथा रकबा 1.150 हेक्टेयर पर मकान दुकान व अस्थाई गमटियॉ निर्मित क्षेत्र प्रतिवेदित किया गया था।

उक्त निर्मित क्षेत्र में से सड़क के पूर्वी भाग पर स्थित 23 गुमटियों तथा प्रश्नाधीन सर्वे कमांक के उत्तर में 7 आवासीय संरचनाऐं तथा दक्षिण पूर्व एवं पश्चिम में निर्मित 2 बाउन्ड्रीवाल को हटाया जा चूका हैं। शेष निर्मित भाग का क्षेत्र चूँकि वर्ष 1927 के राजस्व अभिलेख में उक्त सर्वे कमांक 1281 के सम्पूर्ण रकबा 36 बीघा 18 बिस्वा तालाब दर्ज अभिलेख हैं। अतः उक्त तालाब नोईयत को दृष्टिगत रखते हुए एवं वर्तमान में उक्त जलीय संरचना के आसपास शेष निर्मित क्षेत्र में निर्माण हेतु अधिकृत विभाग द्वारा या तो अनुज्ञा जारी की गई होगी या नहीं की गई होगी दोनो ही स्थितियों में उक्त निर्माण अवैध हो सकते हैं जिस पर कार्यवाही संबंधित नगर निकाय द्वारा की जा सकती हैं।

अतः उपरोक्तानुसार वांछित प्रतिवेदन श्रीमान की ओर सादर प्रेषित हैं।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

अनुविभागीय अधिकारी
अनुविभाग उज्जैन नगर,
जिला उज्जैन म.प्र.

Annexure-2

कार्यालयः नगर पालिक निगम उज्जैन (म.प्र.)
नगर निवेश विभाग, झोन कं. 02

क्रमांकः— न.नि. / 2024 / 359 दिनांक — 15.10.2024

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी,
क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदुषण नियंत्रण कंट्रोल बोर्ड, उज्जैन (म.प्र.)

विषय :— माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच द्वारा प्रकरण क्रमांक —11 / 2022 (बाकिर अली रंगवाला विरूद्ध म.प्र. शासन व अन्य) में एक्शन टेकन रिपोर्ट के संबंध में।

——000——

उपरोक्त विषयांकित क्रम में लेख है कि, आपके द्वारा चाही गयी जानकारी मय संलग्न आपकी ओर सादर प्रेषित है।

संलग्न :— यथोपरि।

कार्यपालन यंत्री
उज्जैन नगर पालिक निगम

पृ. कमांक :—2024 / दिनांक :—

प्रतिलिपि :—

1. आयुक्त, नगर पालिक निगम उज्जैन की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।

कार्यपालन यंत्री
उज्जैन नगर पालिक निगम

Reply for Hon'ble NGT Original Application No. 11/2022 (CZ) "Bakir Ali Rangwala vs State of Madhya Pradesh"

Action taken report

1. Progress for removal of encroachment

To comply with the direction passed by Honorable NGT vide its order dated 07-09-2022 in OA Case No. No. 11/2022 (CZ) "Bakir Ali Rangwala vs State of Madhya Pradesh" regarding removal of encroachment following due process encroachment of 28 temporary shops and 07 permanent constructions were removed on dated 16-11-2022. In addition to this encroachment of Boundary wall of VD market Parking and encroachment from back side of auashadhalay were also removed.

In regards to various cases on going in District court has ordered to maintain status quo against any kind of demolition (order sheet dated 17.02.2023 enclosed **Annexure -1**) till disposal of case based on following facts

- As per survey list of encroachments/constructions present over land of survey number 1281 provided by district administration, residents of Vikram cloth market **have challenged the survey report and have submitted petitions in local court asking relief as above properties are located in survey number 1312 and not in survey number 1281.**
- As per point 4 of above order sheet, Responded Ujjain Nagar Nigam has requested that, action being taken by administration are under order of Honorable NGT and neither petitioner has no right to apply nor civil court has the jurisdiction to hear such petition.
- As per point 12 of above order sheet, Ujjain district administration has provided demarcation report of 1281, Panchnama, field book, list of construction **but have not provided any information notice regarding demarcation to petitioner of any other affected person. And thus, demarcation is not binding on petitioner.** Also, tehsildar Ujjain has submitted that demarcation of survey number 1312 in not possible (point 10 of above order sheet).

2. Imposition of Environmental compensation

To comply with the direction passed by Honorable NGT vide its order dated 05-012-2023 in OA Case No. No. 11/2022 (CZ) "Bakir Ali Rangwala vs State of Madhya Pradesh" Pollution control board had issued a show cause notice to Ujjain municipal corporation, regarding environmental compensation due to delay in commissioning of STP, and had given an opportunity to submit reply/ objection regarding the calculated compensation.

In response Ujjain municipal corporation has field reply to the regional Officer, M.P. pollution control Board, Ujjain **Via letter no 66 dated 7/2/2024 (Annexure -2).** The compex Based on the

delayed caused by permissions from various departments like MPEB, Police department, District administration, Forest department, etc., Delay in crop compensation from district administration. Delay caused due to various religious events and heavy tourism due to religious importance of Ujjain city etc. facts and circumstances relief regarding waving off penalty has been requested.

From the mentioned facts in enclosed letter annexure -2, it is evident that Ujjain Municipal Corporation has been tirelessly making efforts for the commissioning of STP at Ujjain. The complex situation of acquisition and permissions from different authorities has resulted in the delay. However, as apparent from the aforementioned facts there has never been any delay on part of the Ujjain Municipal Corporation. Thus, the case of the **Ujjain Municipal Corporation requires a special consideration in view of its unique challenges due to city profile and organizational setup, the delay needs to be condoned and the proposed penalty needs to be waived off.**

Also, there is an existing sewage treatment system, in which via 9 different pumping stations at different locations preventing untreated water from mixing into river, untreated water is pumped to **Sadawal oxidation pond (83 MLD)** here water is treated. Thus, there is little to no untreated water mixing in river Shipra and thus no environmental damages are being caused

3. Regarding Pipe laying work in Govardhan Sagar Catchment area under AMRUT – I: -

In Govardhan Sagar catchment area, total 7.5 km sewerage line is proposed under AMRUT – I which covers Patel Nagar, Fazal Pura, VD market. Out of this total 7.4 km line was laid & only 100 mtr is balanced which will be completed by 15th Dec 2024. Construction of Manholes and IC Chambers is in progress and will be completed by the end of 31st Dec 2024. Work of house connection will be started after completion of Trunk Main & MPS and will be completed by 30.06.2025.

4. Regarding the establishment of the Surasa Sewage Treatment Plant (STP):

The Surasa STP project has been meticulously planned with a designed capacity of 92.5 MLD, considering the anticipated sewerage generation from the projected population of 2050. The ultimate stage, set for the year 2050, aims to accommodate a capacity of 110 MLD. Presently, the operational STP(s) can effectively treat a sewerage volume of 79 MLD, corresponding to the anticipated generation in 2024.

Several factors contribute to the justified delay in commissioning, and these considerations shed light on the challenges faced during the execution of the Sewerage Network project:

Unique Challenges of the STP: The Surasa STP is subject to special considerations due to the complexities encountered during the implementation of the Sewerage Network project.

1. **Complexities in Pipe Laying in Ujjain City:** The execution of pipe laying works in Ujjain City presents significant challenges. The city's constant activity and influx of visitors during religious events have further complicated the seamless progress of the project, highlighting the unique challenges associated with working in a lively and culturally significant urban environment. This heightened public movement has significantly impacted the execution of crucial tasks, such as pipe laying works, creating obstacles and disruptions in the construction schedule.

   The construction activities were forced to come to a standstill due to the occurrence of various anticipated celebrations and religious events. Events such as the Karthik mela, Sravan month celebrations, and other VVIP visits necessitated a temporary halt in the ongoing works. The need to accommodate and facilitate these significant occasions, characterized by heightened public participation and attention, prompted a pause in the construction activities to ensure the smooth execution of the events without disruptions from the ongoing construction work.

   Due to the non-resolution of the land issue at the approach road at STP, the farmer frequently stopped the works at STP, and even as on date the issue is yet to be resolved by Administrative Department. Recently the farmer has protested the entry into STP by excavating the land at the entry gate due to non-resolution of land issue.

2. **Geographical Challenges Along the River Kshipra at Trunk Main:** Furthermore, Ujjain City's location along the banks of the river Kshipra adds another layer of complexity. The geographical setting, particularly during the rainy season, poses a considerable challenge to project works. The reduced timeframe available for execution during adverse weather conditions inevitably leads to project delays.

   Due to an increase in the water table during the heavy monsoon season, the excavated trenches are to be backfilled. These precautionary measures to prevent the anticipated collapse of the excavated trenches, which could pose safety risks. Consequently, the need to rework the filled trenches ensued, resulting in an overall delay in the construction works.

   The delay in the resolution of the crop compensation and land compensation of the farmers along the alignment of the trunk main contributed to the delay in the completion of the Trunk main works.

3. **Delay in receiving Permissions at MPS:** Additionally, a significant delay has occurred in obtaining charging permission from the MPEB department at MPS, thereby contributing to an overall delay in the commissioning of STP. The UMC formally requested the MPEB for permission on June 12, 2023. However, the approval process extended beyond expectations, and the permission was granted much later, specifically on January 30, 2024. This delay in securing the necessary permission from the MPEB has consequently impeded the timely commissioning of STP.

The ongoing land issue with adjacent landowner Mr. Ramesh Dwivedi is leading to the delay in the execution of the balance works at MPS. The landowner has stopped the machinery and manpower movement on various occasions due to the land issue.

The combined factors mentioned above play a crucial role in justifying the delay in commissioning the Surasa Sewage Treatment Plant (STP). It underscores the necessity for a thoughtful and flexible approach in handling the distinctive challenges linked to the project. The challenges, ranging from specific characteristics of the STP to complexities in the city's infrastructure and external factors like weather conditions and permissions, collectively contribute to the extended timeline.

A thorough evaluation is requested urging consideration of the actual damage incurred as the discharge of sewerage into the river is minimal and is majorly being treated in the existing pumping stations, thus posing a low risk of pollution to the Kshipra River water.

Other reasons for the delay in STP:

As of date, the pipe laying works at Trunk main are completed but due to the non-resolution of the land issues, MPS and STP are yet to be commissioned. Apart from the works related to the land issues, all the remaining works stand completed.

Looking the progress of work Trunk Main and other components, tentative date of completion of the project will be 30.06.2025 if the unsolved issue is cleared.

Building Officer (Zone 2)
Ujjain Municipal Corporation
Ujjain (M.P.)

Resident Engineer
Shah Technical Consultants
Ujjain (M.P.)

Executive Engineer (AMRUT)
Ujjain Municipal Corporation
Ujjain (M.P.)

(For Amrut Part 1 only)

Ujjain Municipal Corporation
Ujjain (M.P.)

Annexure-1

C.A. 7092/08/05/2023

व्यवहार वाद क्रमांक–27ए/23

:: न्यायालय चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, उज्जैन (म०प्र०) ::
(समक्ष–वीरेन्द्र वर्मा)

Registration no-RCS-A/27/2023
Filing no.-2507/2022
CNR NO-MP1301-015569-2022
Filing date-24-12-2022

गोपालदास, पिता श्री चेतुमलजी माखीजा
उम्र– 50, वर्ष, निवासी– 4, गोरधनधाम नगर,
उज्जैन म.प्र.।
..............................वादी ।

वि रु द्ध

01. उज्जैन नगर पालिक निगम उज्जैन द्वारा
आयुक्त महोदय, कोयला फाटक छत्रपति
शिवाजी भवन आगर रोड उज्जैन।

02. श्रीमान् आयुक्त महोदय नगर पालिक निगम
उज्जैन कोयला फाटक छत्रपति शिवाजी
भवन, आगर रोड उज्जैन म.प्र.।

03. भवन अधिकारी, झोन क्र. 2
नगर पालिक निगम उज्जैन म.प्र.।

04. विक्रमादित्य क्लॉथ मार्केट, सहकारी समिति,
मर्यादित उज्जैन म.प्र.।
..............................प्रतिवादीगण।

वादी/आवेदक की ओर से श्री अर्पित वर्मा अधिवक्ता।
प्रतिवादी/अनावेदक की ओर से श्री पुरुषोत्तम तिवारी अधिवक्ता अधिवक्ता।

–::–आदेश–::–

(आज दिनांक–17.02.2023 को पारित किया गया)

01– इस आदेश के द्वारा वादी/आवेदक की ओर से प्रस्तुत आई.ए. नं–1/22 आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सहपठित धारा 151 सी.पी.सी. का निराकरण किया जा रहा है।

02– वादी का आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि– वादी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की दुकान जिसका भूखण्ड क्रमांक– डी. 12 तथा भवन क्र. 19, विक्रमादित्य क्लॉथ मार्केट फाज़लपुरा उज्जैन (जिसे आगे वादग्रस्त दुकान से संबोधित किया जावेगा) में

17-2-23

(वीरेन्द्र वर्मा)
चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड
जिला-उज्जैन (म.प्र.)

Scanned with OKEN Scanner

Annexure 1

स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 27.88 वर्गमीटर है। उक्त वादग्रस्त दुकान 20 वर्ष
होकर व्यवसायी उपयोग की है, जिसे वादी द्वारा पूर्व स्वामी से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र
माध्यम से क्रय किया गया था। उक्त भूखण्ड मूलरूप से विक्रमादित्य क्लॉथ मार्केट
सहकारी समिति मर्यादित, उज्जैन के स्वामित्व व आधिपत्य की है, जिसे समिति के द्वारा
रजिस्टर्ड लीज डीड के माध्यम से पहले पूर्व स्वामी को प्रदान किया गया था तथा
पश्चात्‌वर्ती क्रम में वादी के द्वारा क्रय करने पर वादी के पक्ष में दिनांक 06.03.2020 को
लीज डीड संपादित करते हुए प्रदान की गई। इस प्रकार वादी वर्तमान में समिति से प्राप्त
लीज डीड व विक्रय पत्र के आधार पर हवाई हक के साथ स्वामी एवं आधिपत्यधारी है।
उक्त वादग्रस्त दुकान में वादी अपना कपड़े का व्यवसाय वर्ष 2020 से सतत् रूप से
संचालित कर रहा है, उसी से वादी के परिवार का पालन–पोषण होता है। वादी ने उक्त
रजिस्टर्ड पत्र एवं लीज डीड के आधार पर समिति से अनुमति प्राप्त कर नगर पालिक निगम
उज्जैन में वादग्रस्त भूखण्ड पर अपना नाम स्वामी के रूप में अंकित करवाने हेतु आवेदित
किया गया था जिस पर नगर पालिक निगम द्वारा विधिवत् आदेश पारित कर वादी का
नाम स्वामी की हैसियत से दर्ज करते हुए उक्त नामांतरण की सूचना वादी को प्रदान की।
वादग्रस्त भूखण्ड पर पूर्व भवन स्वामी के द्वारा उक्त भूखण्ड पर प्रथम मंजिल पर निर्माण
करने हेतु प्रतिवादी क्रं. 1 के कार्यालय में भवन निर्माण हेतु अनुज्ञा प्रदान करने हेतु
आवेदन दिया गया तथा प्रतिवादी क्रं. 1 द्वारा भवन निर्माण अनुज्ञा प्रदान की गई थी। उक्त
वादग्रस्त दुकान का संपत्तिकर एवं प्रकाश कर आदि भी आवेदक ही स्वामी की हैसियत से
निरंतर अदा कर रहा है। वादी द्वारा किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण भूमि सर्वे नं. 1281
कुल रकबा 7.716 हे. कस्बा उज्जैन के किसी भाग पर नहीं किया गया है।

03– दिनांक 16.09.2022 को प्रतिवादी क्रं. 3 द्वारा एक सूचना पत्र इस आशय
का जारी किया गया कि कार्यालय कलेक्टर जिला दण्डाधिकारी उज्जैन म.प्र. पत्र क्र. 1537
दिनांक 02.09.2022 कस्बा उज्जैन स्थित भूमि मूल सर्वे नं. 1281 खसरे में अभिलेखित कुल
रकबा 7.716 हे. में से रकबा 1.150 हे. पर स्थाई एवं अस्थाई निर्माणों को मौजा
पटवारी/राजस्व निरीक्षक वृत्त–1 एवं तहसील उज्जैन द्वारा चिन्हित किया गया है जिसमें
वादी का नाम उल्लेखित है। उक्त सूचना पत्र के माध्यम से वादी को सूचित किया गया
कि वह अपना स्पष्टिकरण स्थाई/अस्थाई निर्माण अतिक्रमण के संबंध में मय दस्तावेज 7
दिवस की अवधि में कार्यालय में प्रस्तुत करे, अन्यथा सीमा पश्चात् अवैधानिक कार्यवाही
प्रस्तावित की जावेगी। वादी द्वारा उक्त सूचना पत्र का जवाब दिनांक 20.09.2022 को
प्रतिवादी क्रं. 3 को कार्यालय में प्रस्तुत किया परंतु वादी को आशंका है कि प्रतिवादीगण
मनमानी कार्यवाही करने को आतुर होकर अधिकारीगण के अधीन, राजनीतिक दबाव के
अधीन, दुर्भावनापूर्वक वादग्रस्त दुकान में तोड़–फोड़ करने एवं बलपूर्वक भूखण्ड का
आधिपत्य प्राप्त करने हेतु तत्पर है। यद्यपि वादी की ओर से धारा 401 म.प्र. नगर पालिक
निगम अधिनियम के अधीन प्रतिवादीगण को एक माह की अवधि का रजिस्टर्ड ए.डी. की
डाक से एक सूचना पत्र अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 21.11.2022 को भेजा गया
परंतु प्रतिवादीगण द्वारा कार्यवाही उपरांत नहीं की गई। अतः उक्त आवेदन पत्र स्वीकार
करते हुए वादी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा, एवं प्रतिवादीगण वादग्रस्त दुकान में किसी
प्रकार से आधिपत्य में हस्तक्षेप न करें तथा वादग्रस्त दुकान में किसी प्रकार की कोई
तोड़फोड़ न करें तथा वादग्रस्त दुकान का आधिपत्य वादी से नहीं छिने तथा उपरोक्त कार्य
न ही किसी अन्य से कराए जाने का निवेदन किया गया।

(धर्मेन्द्र वर्मा)
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड
जिला–उज्जैन (म.प्र.)

Scanned with OKEN Scanner

ONE RUPEE FOR COPYING FEES ONLY
भारत INDIA एक रुपया ONE RUPEE FOR COPYING FEES ONLY
भारत INDIA एक रुपया ONE RUPEE FOR COPYING FEES ONLY
भारत INDIA एक रुपया ONE RUPEE FOR COPYING FEES ONLY

प्रकरण में प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब संक्षेप में इस प्रकार है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच द्वारा प्रकरण क्रं. 11/2022 बाकिर अली रंगवाला वि. मध्यप्रदेश शासन अन्य में दिनांक 05.05.2022 को पारित आदेश के पालनार्थ में कलेक्टर उज्जैन एवं आयुक्त नगर निगम उज्जैन को गोरधन तालाब को अतिक्रमण से व अवैध निर्माण से मुक्त कर रिपोर्ट मा. रा. हरित अधि. भोपाल को समय सीमा में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। गोरधन सागर की भूमि सर्वे क्रं. 1281 रकबा 7.716 हे. में से 1.150 हे. शासकीय भूमि पर स्थाई एवं अस्थाई निर्माण के संबंध में सीमांकन करवा कर सीमांकन रिपोर्ट की सूची तैयार करवाई गई जो पत्र के संलग्न मौका पंचनामा नक्शा एवं फिल्डबुक नजरी नक्शा एवं राजस्व निरीक्षक का प्रतिवेदन में पाया कि उक्त तालाब की भूमि पर निर्माण किया गया, जिसे हटाया जाए विक्रमादित्य क्लॉथ मार्केट सहकारी समिति मर्यादित उज्जैन द्वारा उक्त भूखण्ड की भूमि कहां से प्राप्त की गई इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है, इस कारण उक्त भूमि गोरधन सागर की है। शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर अवैध निर्माण किया गया है जिसे हटाया जाना आवश्यक है। प्रतिवादीगण द्वारा संपूर्ण कार्यवाही माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के पालन में की गई। वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रं. 1281 गोवर्धन सागर तालाब की भूमि है उक्त तालाब उज्जैन के प्राचीन सप्त सागर में से एक महत्वपूर्ण धार्मिक एवं पौराणिक तालाब है जो कि देशभर के धर्मावलम्बियों की आस्था का केन्द्र है। यह सागर पुराण प्रसिद्ध है जिसका उल्लेख स्कंद पुराण के अवंतिका खण्ड में उल्लेखित है। वादी द्वारा उक्त तालाब की भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर अवैध निर्माण कार्य किया है जिसे हटाने का वैधानिक अधिकार प्रतिवादीगण को प्राप्त है। माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के प्रकाश में वादी की ओर से प्रस्तुत यह आवेदन पत्र प्रचलन योग्य नहीं है तथा माननीय न्यायालय को यह वाद श्रवण करने का क्षेत्राधिकार एवं विचाराधिकार प्राप्त नहीं है। वादी को उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार का स्वत्व, हित एवं अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः वादी का आवेदन निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया।

05– आवेदन के निराकरण के लिये विचारणीय बिन्दु निम्नानुसार है :–

(01) क्या प्रथम दृष्टया मामला वादी/आवेदक के पक्ष में है ?

(02) क्या अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त वादी/आवेदक के पक्ष में है ?

(03) क्या सुविधा का संतुलन वादी/आवेदक के पक्ष में है ?

–:–00–:–

–::– सकारण निष्कर्ष –::–

–::– विचारणीय बिन्दु क्रमांक–01 का निराकरण :–

06– सर्वप्रथम यह निर्धारित किया जाना आवश्यक है कि क्या प्रथम दृष्टया वाद वादी के पक्ष में है, अर्थात क्या वादी द्वारा सद्भाविक रूप से विधि अथवा तथ्य का ऐसा प्रश्न उठाया गया है, जिसका गुण–दोष पर निराकरण किया जाना आवश्यक है। वादी द्वारा अपने पक्ष समर्थन में विक्रय पत्र, नगर पालिक निगम द्वारा सूचना पत्र, बिजली बिल, संपत्ति कर की रसीद, आधारकार्ड, फोटो, दैनिक अखबार पत्र, उज्जैन नगर पालिका द्वारा प्रेषित सूचना पत्र, भवन अधिकारी को प्रेषित उत्तर, धारा 401 का नोटिस, रसीद की छायाप्रतियां प्रस्तुत की गई है।

7.2.23
(धीरेन्द्र वर्मा)
चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड
जिला–उज्जैन (म.प्र.)

Scanned with OKEN Scanner

एक रुपया ONE RUPEE FOR COPYING FEES ONLY

अथवा ईटीएस मशीन चलाना संभव नही होगी। इस प्रकार स्वयं तहसीलदार उज्जैन के द्वारा उक्त प्रतिवेदन में सर्वे नं. 1312 का सीमांकन करना संभव नही होना बताया गया है। प्रकरण में वादी के द्वारा तहसीलदार उज्जैन के आदेश दिनांक 09.05.2011 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसमें उनके द्वारा सर्वे नं. 1312/1 एवं सर्वे नं. 1312/2 पर विक्रमादित्य थ्रोक मार्केट समिति के नाम दर्ज करने का आदेश दिया गया है।

11— प्रकरण में वादी के द्वारा संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश उज्जैन द्वारा थोक व्यवसायिक समिति को जारी पत्र दिनांक 10.05.87 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसमें उनके द्वारा उक्त मार्केट में स्वीकृत अभिन्यास में क, ख, ग, घ एवं ग—1 से रेखांकित भूमि को छोड़कर शेष भाग हेतु निर्माण की अनुमति दी गई है। प्रकरण में वादी के द्वारा उक्त स्वीकृति का नक्शा भी प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है जिससे यह दर्शित होता है कि नगर तथा ग्राम निवेश के द्वारा अनुमति प्रदान करने के पश्चात् ही समिति के द्वारा विवादित दुकान का निर्माण कार्य वर्ष 1987 में किया गया है। प्रकरण में वादी के द्वारा नगर निगम द्वारा दिए गए नोटिस दिनांक 16.09.2022 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसमें नगर निगम के द्वारा वादी को जारी नोटिस में इस बात का उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच द्वारा प्रकरण क्र. 11/22 *बाकिर अली रंगवाला विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन* में पारित आदेश दिनांक 05.05.2022 के अनुसार कलेक्टर कार्यालय उज्जैन में हुई बैठक में गोवर्धन सागर से अतिक्रमण हटाए जाने हेतु निर्देशित किया गया है जिसमें सर्वे नं. 1281 में अभिलिखित रकबा 7.716 हे. में से रकबा 1.150 हे. भूमि पर स्थाई एवं अस्थाई निर्माणों को चिन्हित किया गया है। अतः जिसमें वादी का नाम उल्लेखित बताया गया है तथा वादी से स्पष्टीकरण देने हेतु कहा गया है। वादी के द्वारा दिए गए जवाब की प्रति प्रस्तुत की गई है। प्रकरण में प्रतिवादी के द्वारा मुख्य रूप से अपने जवाब में यह बात व्यक्त की गई है कि उनके द्वारा संपूर्ण कार्यवाही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के पालन में की गई है। प्रकरण में प्रतिवादी के द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 05.05.2022 की प्रति प्रस्तुत की गई है, जिसमें माननीय अधिकरण के द्वारा गोवर्धन तालाब उज्जैन पर किए गए अतिक्रमण को हटाने हेतु निर्देशित किया गया है। प्रकरण में उभयपक्ष के अभिवचन एवं प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि गोवर्धन सागर तालाब सर्वे नं. 1281 पर स्थित है। जबकि वादी के द्वारा विवादित दुकान सर्वे नं. 1312/1 एवं 1312/2 पर स्थित होना बताई गई है।

12— प्रकरण में प्रतिवादी के द्वारा सीमांकन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है जिसमें इस बात का उल्लेख है कि भूमि सर्वे क्र. 1281 के कुल रकबा 7.716 हे. में से रकबा 4.560 हे. भूमि पानी के नीचे तथा 0.313 हे. पर सड़क एवं वाटरवर्क्स तथा 1.150 हे. पर स्थाई एवं अस्थाई निर्माण एवं शेष भूमि रिक्त पाई गई। उक्त सीमांकन रिपोर्ट के साथ पंचनामा नक्शा एवं फील्ड बुक तथा सर्वे नं. 1281 में निर्मित संरचनाओं की सूची संलग्न की गई है परंतु उक्त सीमांकन के समय वादी को या अन्य व्यक्तियों को जिनके द्वारा सर्वे नं. 1281 पर निर्माण करना बताया गया है, को सीमांकन करते समय कोई नोटिस दिया गया हो या उनकी उपस्थिति में सीमांकन किया गया हो, ऐसी कोई कार्यवाही प्रतिवादी के द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई। उक्त स्थिति में उक्त सीमांकन वादी पर बंधनकारी होना दर्शित नहीं होता है। उक्त सीमांकन के समय वादी को कोई सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। पूर्व में स्वयं तहसीलदार उज्जैन के द्वारा न्यायालय में यह प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था कि सर्वे नं. 1312 का सीमांकन किया जाना संभव नही है।

(वीरेन्द्र वर्मा)
व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड
जिला—उज्जैन (म.प्र.)

Scanned with OKEN Scanner

का आधिपत्यधारी है तथा उसके द्वारा विवादित दुकान पर व्यवसाय कर अपने परिवार का पालन पोषण किया जा रहा है। यदि प्रतिवादीगण के द्वारा विवादित दुकान को तोड दिया जाता है तो वादी अपने परिवार के पालन-पोषण के अधिकार से वंचित हो सकता है तथा वादी को अपूर्णनीय क्षति होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है जबकि यदि वादी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो उससे प्रतिवादी पक्ष को कोई क्षति होने की संभावना नहीं है।

16– उपरोक्त समस्त विवेचना के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला अपूर्णनीय क्षति एवं सुविधा के संतुलन का सिद्धांत वादीगण के पक्ष में होने से वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सहपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार कर प्रतिवादीगण को निर्देशित किया जाता है कि वह स्वयं या अन्य किसी के माध्यम से भूखण्ड क्र. डी-25 तथा भवन क्र. 19, विक्रमादित्य क्लॉथ मार्केट मालीपुरा उज्जैन में कोई तोडफोड या हस्तक्षेप न करें।

17– इस आदेश का प्रकरण के अंतिम निराकरण पर कोई प्रभाव नहीं होगा। आवेदन पत्र का व्यय प्रकरण के निराकरण पर व्यय के संबंध में होने वाले आदेश पर निर्भर होगा।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर पारित किया गया।

(वीरेन्द्र वर्मा)
चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड
उज्जैन, (म0प्र0)

(वीरेन्द्र वर्मा)
चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड
जिला-उज्जैन (म.प्र.)

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(वीरेन्द्र वर्मा)
चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड
उज्जैन, (म0प्र0)

(वीरेन्द्र वर्मा)
चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड
जिला-उज्जैन (म.प्र.)

प्रधान प्रतिलिपिकार
जिला एवं सत्र न्यायालय
उज्जैन
-/5-23

Annexure L

Scanned with OKEN Scanner

Annexure-2

UJJAIN MUNICIPAL CORPORATION, UJJAIN

Date - 7/2/2024

Letter No: - 06

To,

The Regional Officer,
M.P Pollution Control Board,
17, Bharatpuri, Ujjain (M.P)

Sub: Imposition of Environmental Compensation as per the directions passed by the Hon'ble NGT vide its order dated 05.12.2023 in O.A No. 11/2022 (CZ) Bakir Ali Rangwala VS State of MP and Others.

Ref: Your show cause notice No.1908/MPPCB/RO/2024 dated 24.01.2024 (received on 02.02.2024).

REPLY ON BEHALF OF UJJAIN MUNICIPAL CORPORATION TO THE SHOW CAUSE NOTICE

1. That, the Ujjain Municipal Corporation, Ujjain is a body corporate, created under the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956.
2. That, in the show cause notice under reference a penalty of Rs. 300 lacs (Three Crores only) has been proposed, for violation of Environmental Laws. A reference has been made to the order passed by the Hon'ble NGT in OA No. 606/2018, directing that environmental compensation has been calculated from 01.07.2021 to 31.12.2023.
3. That, it has been mentioned in the captioned notice that UMC has failed to commission the STP within the stipulated time. In this regard it is humbly submitted that the work of STP has already been completed and the STP is on partial run since March 2022. It is pertinent to mention that out of a total 15.1 Km Main Trunk work only 100 meter is pending which is in progress and all possible endeavors are being made by the Ujjain Municipal Corporation to complete the same at the earliest. It is humbly submitted that, the process of administrative approval of a project requires permissions and coordination with and concurrence of various departments. There has been no delay whatsoever on part of the Ujjain Municipal Corporation and constant efforts are being

O/C

REGIONAL OFFICER
DATE 09/02/24
M.P. Pollution Control Board, Ujjain

made by the Ujjain Municipal Corporation right from the year 2018 for commissioning of the STP.

4. That, the delay in commencement of setting up of STP has been caused due to the reasons which are beyond the control of the Ujjain Municipal Corporation for which the Corporation should not be penalized. Details of the reasons for delay in establishment of STP are mentioned below in chronological order-

(a) From 07.03.2018 to 21.06.2018 i.e. 106 days delay was caused on account of non-availability of site due to delay in payment of compensation of crops by the District Administration over the subject land required for establishment of STP. The aforesaid delay is beyond the control of UMC.

(b) From 05.05.2019 to 22.05.2019 i.e. 17 days delay was caused due to model code of conduct in the State on account of Lok Sabha Elections. The aforesaid delay is beyond the control of UMC.

(c) From 29.05.2019 to 02.12.2019 i.e. 187 days delay was caused as the Ujjain Municipal Corporation did not have clearance from the forest department at Bherugad. It is pertinent to mention that a stretch of over 500 meters near Bherugad comes under the Forest Department, thus clearance from the Department is necessary. The aforesaid delay is beyond the control of UMC.

(d) From 25.01.2020 till date a stretch of 90 meters is unavailable due to delay in payment of compensation of crops by the District Administration near Badnagar Pool Bridge, due to which there is no progress on this stretch since 25.01.2020 till date. The aforesaid delay is beyond the control of UMC.

(e) From 21.03.2020 to 20.09.2020 i.e. 183 days delay was caused due to COVID-19 pandemic.

(f) From 03.12.2020 to 18.01.2021 i.e. 46 days delay was caused due to non-availability of clearance over a stretch of 500 meters near Eco Park for performing the subject work.

(g) From 24.03.2021 to 31.05.2021, again the second wave of COVID-19 lockdown was imposed which evidently affects the progress of the project.

(h) From 01.06.2021 to 13.01.2023 i.e. 591 days delay was caused due to non-availability of permissions from several authorities over a stretch of 450 meters near the Karthik Mela Main Road on account of celebration of Karthik month and Sravan month. The aforesaid delay is beyond the control of UMC.

(i) From 08.09.2021 to 20.02.2022 i.e. 165 days delay was caused on account of non-availability of site due to delay in payment of compensation of crops by the District Administration over a stretch of 100 meters near Mozamkhedi. The aforesaid delay is beyond the control of UMC.

(j) From 09.09.2021 to 08.12.2021 i.e. 455 days delay was caused on account of non-availability of site due to delay in payment of compensation of crops by the District Administration over a stretch of 60 meters near Bhukimata River Crossing. The aforesaid delay is beyond the control of UMC.

(k) From 18.11.2021 to 03.12.2022 i.e. a delay of 380 days was caused due to non-approval of sanction/permission by the MPEB department for granting charging permission. On 18.11.2021 the Ujjain Municipal Corporation issued a letter to the MPEB department for obtaining charging permission, however, the same was granted on 03.12.2022 by the MPEB Department. The aforesaid delay is beyond the control of UMC. Copy of letter dated 18.11.2021 and 03.12.2022 are annexed herewith and marked as ANNEXURE-1 and ANNEXURE-2 respectively.

(l) From 01.04.2022 to 21.12.2022 i.e. 264 days delay was caused due to non-availability of blasting permission from the Police Department near Karthik Mela Main Road.

(m) From 17.06.2022 to 15.04.2023 i.e. 302 days delay was caused due to non-availability of site as the payment of compensation of crops was not made by the District Administration over a stretch of 300 meters near Dhattakada. The aforesaid delay is beyond the control of UMC.

(n) From 06.07.2022 to 09.12.2022 i.e. 156 days delay was caused as the permission for diverting the traffic near Karthik Mela Main Road was not provided to the Ujjain Municipal Corporation by the concerned department.

(o) From 09.07.2022 to 02.02.2023 i.e. 208 days delay was caused in obtaining permissions from several authorities to perform the relevant work near Railway crossing bridge site.

(p) From 08.08.2022 to till date a stretch of 40 meters is unavailable on account of non-payment of compensation near Lalpool/ Railway Bridge to MPRDC, thus, no progress over the stretch since 08.08.2022. The aforesaid delay is beyond the control of UMC.

(q) From 29.11.2022 to till date land for connectivity works near Vrindhavan Dham is unavailable on account of non-payment of compensation by the District Administration, thus, no progress over the subject land from 29.11.2022 due to the aforementioned unavailability of the subject land. The aforesaid delay is beyond the control of UMC.

(r) From 13.01.2023 to 31.08.2023 i.e. a delay of 230 days was caused on account of payment of compensation by the District Administration over a stretch of 100 meters situated near Badapool to Somteerth, thus, no progress over the subject land took place from 13.01.2023 to 31.08.2023. The aforesaid delay is beyond the control of UMC.

(s) From 13.01.2023 to 06.02.2024 i.e. a delay of 389 days was caused on account of non-payment of compensation by the District Administration near Badapool, thus, no progress over the subject land from 13.01.2023 to 06.02.2024 due to the aforementioned litigation. The aforesaid delay is beyond the control of UMC.

(t) From 14.01.2023 to 01.02.2023 i.e. a delay of 18 days was caused on account of non-payment of compensation by the District Administration near Kaalbhairav TBM works, thus, there was no progress over the subject land from 14.01.2023 to 01.02.2023 due to the aforementioned litigation. The aforesaid delay is beyond the control of UMC.

(u) From 08.02.2023 to 16.11.2023 i.e. a delay of 281 days was caused due to non-payment of compensation by the District Administration near Railway Bridge Crossing, thus, no progress took place over the subject land from 08.02.2023 to 16.11.2023. The aforesaid delay is beyond the control of UMC.

(v) From 14.03.2023 to 12.06.2023 i.e. a delay of 90 days was caused due to non-payment of compensation by the District Administration near jail bridge, no progress took place over the subject land from 14.03.2023 to 12.06.2023. The aforesaid delay is beyond the control of UMC.

(w) From 01.04.2023 to 11.10.2023 i.e. a delay of 193 days was caused due to non-payment of compensation by the District Administration near Gaughat TBM pit No. 01, thus, there was no progress over the subject land from 01.04.2023 to 11.10.2023. The aforesaid delay is beyond the control of UMC.

(x) From 01.06.2023 to 05.01.2024 i.e. a delay of 218 days was caused due to non-payment of compensation by the District Administration near Dhattakada, thus, there was no progress over the subject land from 01.06.2023 to 05.01.2024. The aforesaid delay is beyond the control of UMC.

(y) Ujjain is an ancient city of religious importance. The world famous Mahankal Temple and other temples and monuments are situated in Ujjain due to which large number of pilgrims visit Ujjain everyday. There are ancient rituals which are practiced and followed in Ujjain like Sawari of lord Mahankal in the months of shravan and bhado, celebration of Karthik Mela in the month Karthikmas, several baths in the holy river of Kshipra on several auspicious occasions like mahashivratri, Sakranti, Somvati amavasya, moni amavasya, shanishchari amavasya etc. During these events lacs of pilgrims visit the city of Ujjain due to which speed of the work gets affected

From the aforementioned facts it is evident that Ujjain Municipal Corporation has been tirelessly making efforts for the project of STP at Ujjain. The complex situation of acquisition and permissions from different authorities has resulted in the delay. However, as apparent from the aforementioned facts there has never been any delay on part of the Ujjain Municipal Corporation. Thus, the case of the Ujjain Municipal Corporation requires a special consideration in view of its unique challenges and

Annexure 2

organizational setup, the delay needs to be condoned and the proposed penalty needs to be waived off.

2. That, it is pertinent to mention that presently STP situated at Sadawal is in operation and is effectively treating sewage water with a capacity of 79 MLD.

3. That, if the proposed penalty of Rs. 300 lacs is imposed on the Ujjain Municipal Corporation then the functioning of the Corporation would be adversely affected. UMC does not have financial capacity to pay such a huge amount of penalty.

4. That, it is pertinent to mention that we have written in past to Member Secretary MPPCB regarding the same. ANNEXURE-3

In view of the aforementioned facts and circumstances it is humbly submitted that there is sufficient cause for condoning/ waiving off the penalty proposed in the show cause notice under reference.

Enclosed: As above.

Commissioner
Ujjain Municipal Corporation
Ujjain, Date: -

Letter No: -
Copy to: -

1. The Member Secretary, Madhya Pradesh Pollution Control Board, E-5 Paryavaran Parisar, Arera Colony, Bhopal (M.P.) for information please.
2. The District Collector, Ujjain (M.P.) for information please.
3. Superintending Engineer, Ujjain Municipal Corporation for necessary action.

Commissioner
Ujjain Municipal Corporation

Annexure 2

Annexure-3

क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

17, भरतपुरी, उज्जैन, दूरभाष कार्यालय– 0734 – 2510984

Email: romppcb_ujjain@yahoo.co.in , rlmppcbujjain@gmail.com

क्रमांक– 1370 /प्रनिबो/क्षे.का./2024/ उज्जैन,दिनांक 30/08/24

प्रति,

आयुक्त,
नगर पालिक निगम,
उज्जैन (म.प्र.)

विषयः– Imposition of Environment Compensation as per the directions passed by the Hon'ble NGT vide order dated 05/12/2023 in O.A. 11/2022 (CZ) Bakir Ali Rangwala v/s State of M.P. & Others.

संदर्भः– 1- क्षेत्रीय कार्यालय उज्जैन का पत्र कमांक 1908 दिनांक 24.01.2024।
2- बोर्ड मुख्यालय का पत्र कमांक 2017 दिनांक 08.04.2024।
3- क्षेत्रीय कार्यालय उज्जैन का पत्र कमांक 441 दिनांक 15.05.2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र क्रमांक 1 एवं 3 के द्वारा नगर पालिक निगम उज्जैन पर रू. 300 लाख पर्यावरण क्षतिपूर्ति से संबंधित नोटिस देकर पर्यावरण क्षतिपूर्ति जमा किए जाने हेतु लिखा गया था। कृपया पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति शीघ्र जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।

कृपया बोर्ड मुख्यालय म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के संलग्न संदर्भित पत्र क्रमांक 2 का अवलोकन हो जिसमें पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि पर सहमत नहीं होने की दशा में नगर पालिक उज्जैन द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का उल्लेख है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

(एच. के. तिवारी)
क्षेत्रीय अधिकारी

क्रमांक– 1371 /प्रनिबो/क्षे.का.उ./2024/ उज्जैन,दिनांक 30/08/24

प्रतिलिपिः–

1. कलेक्टर जिला उज्जैन की ओर कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
2. अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी जिला उज्जैन की ओर कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

(एच. के. तिवारी)
क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

17, भरतपुरी, उज्जैन, दूरभाष कार्यालय– 0734 – 2510984

Email: romppcb_ujjain@yahoo.co.in , rlmppcbujjain@gmail.com

क्रमांक– 441 /प्रनिबो/क्षे.का./2024/ उज्जैन,दिनांक 15/5/24

प्रति,

आयुक्त,
नगर पालिक निगम,
उज्जैन (म.प्र.)

विषयः– Imposition of Environment Compensation as per the directions passed by the Hon'ble NGT vide order dated 05/12/2023 in O.A. 11/2022 (CZ) Bakir Ali Rangwala v/s State of M.P. & Others.

संदर्भः– 1- क्षेत्रीय कार्यालय उज्जैन का पत्र कमांक 1908 दिनांक 24.01.2024।
2- बोर्ड मुख्यालय का पत्र कमांक 2017 दिनांक 08.04.2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र क्रमांक 1 के द्वारा नगर पालिक निगम उज्जैन पर रू. 300 लाख पर्यावरण क्षतिपूर्ति से संबंधित नोटिस देकर पर्यावरण क्षतिपूर्ति जमा किए जाने हेतु लिखा गया था। कृपया पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति शीघ्र जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।

कृपया बोर्ड मुख्यालय म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के संलग्न संदर्भित पत्र क्रमांक 2 का अवलोकन हो जिसमें पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि पर सहमत नहीं होने की दशा में नगर पालिक उज्जैन द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का उल्लेख है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

(एच. के. तिवारी)
O I C क्षेत्रीय अधिकारी

क्रमांक– 442 /प्रनिबो/क्षे.का.उ./2024/ उज्जैन,दिनांक 15/5/24

प्रतिलिपिः–

1. कलेक्टर जिला उज्जैन की ओर कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
2 अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी जिला उज्जैन की ओर कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

(एच. के. तिवारी)
O I C क्षेत्रीय अधिकारी